न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया (हनुमानगढ़)
पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रार्थना–पत्र :– 251 (ए) आर.टी.ए.
प्रार्थना –पत्र नम्बर 54/2021

दयाल सिह पुत्र ईसर सिह जाति जटसिख नि.नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
प्रार्थी

बनाम

1. नक्षत्र सिह पुत्र श्री हरबंश सिह
2. अमरजीत सिह पुत्र श्री हरबश सिह
3. गाबा सिह पुत्र श्री हरबंश सिह
4. चरण सिह पुत्र श्री हरबश सिह
5. हरचरण सिह पुत्र श्री हरबश सिह
6. अंग्रेज सिह पुत्र श्री हरबंश सिह
7. जगतार सिह पुत्र श्री हरबश सिह
8. दिलवर सिह पुत्र श्री निर्मल सिह
9. जितेन्द्र सिह पुत्र श्री जसवन्त सिह
10. हरवेन्द्र सिह पुत्र श्री जसवन्त सिह
11. देवेन्द्र सिह पुत्र श्री जसवन्त सिह
12. तहसीलदार राजस्व संगरिया

जाति जटसिख निवासी नाथवाना
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

–अप्रार्थीगण

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 5 एमजेडी के खाता संख्या 27/23 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी द्वारा चक नं. 5 एमजेडी के पं.नं. 165/179 मु.नं. 2 के किला नम्बर 3 व 8 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प.न. 165/179 मु.न. 2 किला नं. 3/0.025 है. 8/0.018 है. रास्ता स्वीकृत किया जावे व राजस्व अभिलेख में उक्त कृषि भूमि गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज कर राजस्व मानचित्र में अंकित करवाने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश किया।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 6 ता 8 एवं 9 ता 11 बावजूद सूचना उपस्थित नही आये। अप्रार्थी संख्या 5 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की भूमि पूर्व में ही चक 5 एमजेडी के प.न.165/180 मु.न. 12 किला नं. 1 ता 5 में मजूरशुदा रास्ता के साथ चिपती हुई भूमि होने के कारण प्रार्थी नया रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1121 दिनांक 17.02.2025 द्वारा अपनी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 2 में प्रार्थी के खेत चक 5 एमजेडी के दो टुकडे है प्रथम टुकडा प.न. 165/179 मु.न. 2 किला नं. 7/1,8/2,13,14 का है व द्वितीय टुकडा प.न. 165/179 मु.न. 2 के किला नं. 16/3 व 16/5 का है जिसमें 2 स्वीकृत रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

निकटतम दूरी पर पडते है एवं बिन्दु संख्या 5 मे प्रार्थी के पास आवेदित रास्ते के अलावा चक 5 एमजेडी प.म.नाथवाना के खाता संख्या 13/67 में वर्णित प.न. 165/180 मु.न. 12 के किला नं. 5/3/0.025 गै.मु. रास्ता से होते खाता सं. 102/27 में वर्णित प.न. 165/179 मु.न. 2 के किला नं. 25 की पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण होते हुए कि.न. 16/3/0.152 है. नहरी में प्रवेश करते हुए किला नं. 17 की पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण होते हुए किला नं. 14 में प्रवेश करने का अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना बतलाया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रकरण अत्यधिक समय से अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए के तहत नया रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु लम्बित चल रहा है जबकि चक 5 एमजेडी प.न. 165/179 के किला न. 17,25 पर मे स्वंय खातेदार दयाल सिह के नाम दर्ज रिकार्ड थे जिससे तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विकल्प सं. 2 से प्रार्थी की भूमि प.न. 165/179 के किला नं. 7,8,13,14 को रास्ता प्राप्त था किन्तु दौराने प्रार्थना पत्र जैरकार प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि का (**GIFT**) अपने पुत्र जसकरण सिह दयाल सिह को कर दिया। हमारी राय में प्रार्थी को प्रार्थना पत्र संस्थित करते समय रास्ता प्राप्त था एवं वर्तमान में भी प्रार्थी अपने खेत आ जा रहा है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी को नये रास्ते की आवश्यता प्रतीत नही होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 2.5.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
सांगरिया

Scanned with OKEN Scanner